प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 08.01.2026**

➢ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को अवैध असलाह-कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.01.2026 को थाना भोगनीपुर की टीम द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 01 व्यक्ति चोरी करने के इरादे से पिलखनी रोड से जरैलापुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर जा रहा है, जो शातिर चोर है और उसके पास अवैध असलाह-कारतूस भी है। उक्त सूचना पर थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा पिलखनी रोड़ से जरैलापुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो 01 व्यक्ति जाता हुआ दिखायी दिया। उक्त व्यक्ति को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा जरैलापुर मोड से पिलखनी रोड पर करीब 20 मीटर पहले पकड़ लिया और पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम 1. बबलू पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम ततारपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात बताया और उसकी तलाशी से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त की गिरफ्तार व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 15/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. बबलू पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम ततारपुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

अभियुक्त बबलू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 159/2019 धारा 323/324/504/506 भा0द0वि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 467/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 79/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 84/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 15/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना भोगनीपुर पुलिस